



2026:AHC:10319

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 359 वर्ष 2026

राधा चौहान

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:आशीष कुमार ओझा, शशांक ओझा, विनीत कुमार दुबे
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता	:सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के. ओझा और प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक सिंह को सुना गया।
2. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने एक प्रारंभिक आपत्ति जताई है कि वर्तमान रिट याचिका विचारणीय नहीं हो सकती, क्योंकि रिट याचिकाकर्ता मृतक की पत्नी हैं—जो सेना में 'लांस दफ़ादार' के पद पर कार्यरत थे—और इस प्रकार, वह एक सैन्य कर्मी हैं; अतः, रिट याचिकाकर्ता को सशस्त्र बल अधिकरण के समक्ष जाना चाहिए।
3. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।
4. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारित की जाती है, और रिट याचिकाकर्ता के लिए यह विकल्प रखा जाता है कि वह सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के समक्ष उचित कार्यवाही कर सके।

जनवरी 16, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।